रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112022-240338 CG-DL-E-16112022-240338

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2022/कार्तिक 25, 1944

No. 286]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2022/KARTIKA 25, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) सार्वजनिक सूचना नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

सं. 36 / 2015-2020

विषय : वर्ष 2022–23 हेतु टीआरक्यू के अंतर्गत भारत से निर्यात हेतु यूरोपीय संघ द्वारा 5841 मीट्रिक टन (खांड / परिष्कृत) चीनी की मात्रा का आंबटन और यूएस राजकोशीय वर्ष 2023 हेतु टीआरक्यू स्कीम के तहत भारत से निर्यात हेतु यूएसए द्वारा 8606 मीट्रिक टन अस्थाई मूल्य खांड की मात्रा के आबंटन के संबंध में।

- फा. सं. 01/91/180/879/एएम08/ईसी/(खण्ड VIII)/ई—20749.—विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा वर्ष 2022—23 हेतु टीआरक्यू के अंतर्गत यूरोपीय संघ को 5841 मीट्रिक टन खांड/परिष्कृत चीनी की मात्रा का आंबटन और यूएस राजकोषीय वर्ष 2023 हेतु टीआरक्यू स्कीम के तहत यूएसए को 8606 मीट्रिक टन अस्थाई मूल्य खांड की मात्रा का आंबटन भी करते हैं।
- 2. अधिसूचना सं. 3 / 2015–20, दिनांक 20.04.2015 के अनुसार, टीआरक्यू के अंतर्गत यूएसए को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात, उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों के स्वरुप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन ''मुक्त'' है।
- 3. यूएसए और यूरोपीय संघ को एपीडा की इकाई और मात्रा की पात्रता की सिफारिशों के आधार पर चीनी के तरजीही निर्यात हेतु उद्गम प्रमाण—पत्र, यदि अपेक्षित हो, अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूएसए और यूरोपीय संघ को चीनी के निर्यात हेतु विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट प्रमाणन सम्बन्धी अन्य आवश्यकता, यदि कोई हो, का पालन जारी रहेगा।

7629 GI/2022 (1)

- 4. यूरोपीय संघ और यूएसए को टीआरक्यू मदों के निर्यात हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रुप में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली द्वारा कोटा प्रचालित होगा।
- 5. अधिसूचना सं. 20 दिनांक 07.09.2015 के साथ पिठत अधिसूचना सं. 3 / 2015—2020, दिनांक 20.04.2015 द्वारा यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग की शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
- 6. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

दिनांक 01.10.2022 से 30.09.2023 तक यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने के लिए 5841 मीट्रिक टन (खांड/परिष्कृत) चीनी की मात्रा और टीआरक्यू के तहत यूएसए को निर्यात किए जाने के लिए 8606 मीट्रिक टन अस्थाई मूल्य खांड की मात्रा को अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार पदेन अपर सचिव

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

#### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th November, 2022

### No. 36/2015-2020

Subject: Allocation of quantity 5841 MT (raw/refined) Sugar by EU for export from India under TRQ for the year 2022-23 & allocation of quantity 8606 MTRV raw cane sugar by USA for export from India under TRQ scheme for US fiscal year 2023 – regarding.

- **F. No. 01/91/180/879/AM08/EC/Vol. VIII/E-20749.**—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby allocates quantity of 5841 MT for export of raw/refined Sugar to EU under TRQ for the year 2022-23 and also allocates quantity of 8606 MTRV for export of raw cane sugar to USA under TRQ scheme for US fiscal year 2023.
- 2. As per Notification No. 3/2015-20 dated 20.04.2015, export of sugar (HS Code 17010000) to USA and EU under TRQ is 'Free' subject to the conditions notified in the 'Nature of Restrictions' in the above notification
- 3. Certificate of Origin, if required, for preferential export of sugar to USA and EU, shall be issued by Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai on recommendation of APEDA regarding entity and quantity for which eligible. Other certification requirement, if any, prescribed specifically for export of sugar to USA and EU would continue to be followed.
- 4. The quota will be operated by Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), New Delhi as the implementing agency for export of TRQ items to EU and USA.
- 5. The reporting requirement as notified vide Notification No. 3/2015-2020 dated 20.04.2015 read with Notification No. 20 dated 07.09.2015 would be followed.

## 6. Effect of this Public Notice:

The quantity of 5841 MT (raw/refined) Sugar to be exported to EU and quantity of 8606 MTRV raw cane sugar to be exported to USA under TRQ scheme from 01.10.2022 to 30.09.2023 has been notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.